न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 32/2024
जीसीएम एस संख्या – (2024/140)

निगरानीकर्ता

1. मूलगिरी पुत्र श्री शंकर गिरी जाति स्वामी उम्र 74 वर्ष निवासी वस्तवा माताजी का बास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बस्तवा तहसील बालेसर जिला जोधपुर जरिये सरपंच
2. फूसा सिंह उर्फ फूल सिंह पुत्र अभय सिंह जाति राजपूत निवासी बस्तवा माताजी का बास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व आबादी भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) नम्बर 3 जो दिनांक 30.12.1988 को ग्राम पंचायत बस्तवा के तत्कालीन सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री छोटू सिंह सोढ़ा (प्रार्थीपक्ष)।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश **दिनांक : 23.12.2024**

प्रार्थीपक्ष ने यह पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्व पट्टा संख्या 3 दिनांक 30.12.1988 जो ग्राम पंचायत बस्तवा के सरपंच द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 फूल सिंह को जारी किया गया, को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये तथा अप्रार्थीगण से विधिवत [illegible] होकर नोटिस प्राप्त हुए। न्यायालय के पत्र क्रमांक एडीएम–प्रथम/कोर्ट/2019/ दिनांक 10.01.2019 द्वारा ग्राम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बालेसर से मूल रिकॉर्ड तलब किया जाने पर ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय ग्राम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

(जोधपुर) ने जरिये पत्र क्रमांक 43 दिनांक 25.11.2022 द्वारा रिपोर्ट पेश कर बताया कि पट्टा संख्या 03 दिनांक 30.12.1988 जो फूल सिंह पुत्र अभय सिंह के नाम से जारी किया गया से संबंधित मूल पत्रावली एवं मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1987–88 से संबंधित दस्तावेज पंचायत का रेकर्ड देखने पर ग्राम पंचायत बस्तवा में उपलब्ध नहीं होना पाया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस दिनांक 17.12.2024 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनांक 23.12.2024 को रखी गई।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता बस्तवा माताजी का बास का निवासी है। वादी का पट्टाशुदा, कब्जाशुदा मालिकाना हक हक–हकूकों का एक रहवासीय भूखण्ड मय मकान बनाप 100फीट गुणा 80 फीट = 8000 वर्ग फूट का आया हुआ है जहां निगरानीकर्ता का रहवासीय मकान बना हुआ है। निगरानीकर्ता के उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड/मकान के उत्तर में पहाड़ व मंदिर श्री रामदेव जी, दक्षिण में खेत श्री डूंगर सिंह जी, पूर्व में सूबेदार मालम सिंह जी का मकान एवं पश्चिम में शैलपुरी स्वामी का मकान स्थित है। उपरोक्त प्लाट पर वादी का वर्षो से कब्जा होने के आधार पर ग्रम पंचायत कोर्ट बस्तवा पंचायत समिति बालेसर जिला जोधपुर द्वारा निगरानीकर्ता के द्वारा आवश्यक राशि जमा करवाने एवं वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर निगरानीकर्ता के हक में एवं उसके नाम से विधिवत् रूप से उक्त नाप व पड़ौस वाले भूखण्ड का आबादी भूमि विक्रय विलेख (पट्टा सख्या 39 मिसल संख्या 39/84–85 दिनांक 12.07.84 को जारी किया गया तब से निगरानीकर्ता का उक्त भूखण्ड पर बहैसियत मालिक/पट्टाधारी के द्वारा कब्जा चला आ रहा है तथा पट्टाशुदा भूखण्ड पर निर्मित रहवासीय मकान में बिजली व अन्य सुविधाएं अपने नाम से ली हुई है। प्रत्यर्थी संख्या 2 का उक्त पट्टाशुदा जायजाद के किसी भी भूभाग से किसी प्रकार का संबंध एवं हक अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 2 निगरानीकर्ता के हक हदूद व नाप वाले पट्टाशुदा भूखण्ड के उत्तरी दिशा में स्थित खाली भू भाग बनाप साढ़े पन्द्रह फूट को अपना होना बताकर अपने हक में उसका पट्टा जारी किया जाना बताते हुए वादी के भूखण्ड पर दखलअंदाजी करने की कोशिश करने लगे। निगरानीकर्ता की ओर से दिनांक 24.06.2009 को सरपंच ग्राम पचांयत बस्तवा को की गई शिकायत के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत बस्तवा ने यह जानकारी दी कि रेकर्ड में कहीं पर भी ऐसे पट्टे का उल्लेख नहीं है व न ही इसकी मिसल बुक है और ऐसा पट्टा होना कहना विधि विरूद्ध है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

फूल सिंह का पट्टा ग्राम पंचायत बस्तवा के प्रशासक द्वारा निशुल्क दिया हुआ बताया गया है जिसको बेचना या हस्तानान्तरण करना कानून के विरूद्व है। निगरानकर्ता ने सिविल न्यायालय बालेसर के समक्ष स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का वाद भी पेश किया जो विचाराधीन है। वाद सबज्युडिसियस होने के बाद भी कथित पट्टा के आधार पर जरिये पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 20.04.2009 के तहत रसाल कंवर पत्नी लख सिंह को बेचान तक कर दिया जो मुतालिक जारी पट्टा के आधार पर पट्टाधारी के पट्टे के भूभाग को बेचान हस्तानान्तरण करने का अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी पंजीकृत बेचान के आधार पर रसाल कंवर को कथित पट्टा के आधार पर अनाधिकृत बेचान करना बताया है और कथित खरीदकर्ता व प्रत्यर्थी संख्या 2 निगरानीकर्ता के पट्टाशुदा भूखण्ड पर कब्जा करने पर आमादा है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि प्रशासक द्वारा प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व मौके की कोई जांच नहीं की गई, न ही कब्जा इत्यादि की कोई रिपोर्ट बनाई गई। कथित पट्टा के शर्त के अनुसार उस पर निर्माण भी पट्टा जारी होने के तत्काल बाद किया जाना आवश्यक था किन्तु वर्ष 2009 में निगरानीकर्ता के प्लाट को कथित पट्टा का भाग बताकर कथित खरीददारों द्वारा उस पर अनाधिकृत कब्जा एवं निर्माण कार्य का प्रयास किया। यदि वास्तव में पट्टा 1988 में जारी किया हुआ होता तो इससे कहीं पूर्व मौके पर कब्जा कर निर्माण करवाया जाता जो कि नहीं किया गया। अतः ग्राम पंचायत बस्तवा पचांयत समिति बालेसर जिला जोधपुर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या दो फूल सिंह उर्फ फूसा सिंह के नाम से निगरानीकर्ता के पट्टाशुदा भूखण्ड के भूभाग मुतालिक जारी आलोच्य पट्टा संख्या 3 खसरा नम्बर 590 दिनांक 30.12.1988 को निरस्त किया जावे।

1. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत कथनों एवं विधि प्रावधानों का अध्ययन कर उन पर गहनता से मनन किया।
2. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि निगरानीकार के पक्ष में ग्राम पंचायत बस्तवा ने दिनांक [illegible].07.19[illegible] को पट्टा संख्या 39 मिसल संख्या 39/84-85 से जारी 8000 [illegible] फूट का जारी किया गया है जिस पर उसका कब्जा व रहवास है परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 2 फूल सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

के पक्ष में भी पट्टा संख्या 3 खसरा नम्बर 590 में दिनांक 30.12.1988 को 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया है जो निगरानीकर्ता के पट्टे की भूमि के भीतर साढे पन्द्रह फीट आता है जो गलत है। ग्राम पंचायत में फूल सिंह के पक्ष में जारी उक्त विवरण के पट्टे के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है ऐसा सरपंच ग्राम पंचायत ने दिनांक 5.10.2010 को लिखित में देने से मालूम हुआ। यह पट्टा सरपंच ने कानूनी प्रकिया अपनाए बिना ही गैर कानूनी तरीके से जारी किया है। इस पट्टे की आड़ में फूल सिंह ने इस जमीन को आगे बेच भी दी है। अतः गैर कानूनी रूप से जारी पट्टे को निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता के अधिकारों को संरक्षित किया जावे। उक्त के अतिरिक्त निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनो को दोहराया।

3. प्रत्यर्थी संख्या 2 फूल सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति वगैरह ने उपस्थिति दी परन्तु 13.08.2019 से आज दिनांक तक याचिका का लिखित जवाब पेश नहीं किया है। अतः उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है तथा बहस हेतु भी उपस्थित नहीं हैं।

4. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत बस्तवा पंचायत समिति बालेसर ने अपने पत्रांक 43 दिनांक 25.11.2022 से इस न्यायालय द्वारा जारी पत्रांक 21 दिनांक 10.01.2019 के प्रत्युतर में सूचित किया है कि मूल पट्टा बही, पट्टा संख्या 03 दिनांक 30.12.1988 ग्राम पंचायत द्वारा जारी करने सम्बन्धी अभिलेख व मूल पत्रावली व मूल बैठक कार्यवाही रजिस्टर वर्ष 1987–88 ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बस्तवा के हस्ताक्षर से दिनांक 29.11.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली है।

5. निगरानीकर्ता ने याचिका के साथ पट्टा सख्या 3 खसरा नम्बर 590 दिनांक 30.12.1988 की फोटो प्रति पेश की है जिस पर सरपंच भंवर सिंह, उप सरपंच, ग्राम सेवक तेजाराम चौधरी व फूल सिंह व मूल सिंह के हस्ताक्षर है। याचिका के साथ दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश करने से छूट देने बाबत प्रार्थना पत्र भी पेश किया क्योंकि ग्राम पंचायत ने वांछित पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति नहीं दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 फूल सिंह जिसके पक्ष में उक्त पट्टा संख्या 03 जारी होना बताया है, ने भी मूल पट्टा या प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है तथा न ही कोई अभिलेख इस न्यायालय में अपने डिफेन्स में पेश किये है। इससे यह उपधारणा की जाती है कि उसके पास उक्त पट्टा नहीं है तथा ग्राम पंचायत ने उसके पक्ष में कोई पट्टा विधिक रूप से जारी नहीं किया है।

7. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 व राजस्थान पंचायत व न्याय पंचायत नियम 1961 के 256 से 268 तक में ग्राम पंचायतो द्वारा आबादी भूमि में पट्टे जारी करने की विस्तृत प्रकिया दी गई है जिसकी पालना करके ही पट्टा जारी किया जा सकता है। इस प्रकिया में पट्टा जारी करने हेतु आवेदन प्राप्त कर पत्रावली संधारित करना, पट्टा बही रखना, पंचायत बैठक कार्यवाही में दिये गये पट्टो बाबत पारित प्रस्तावों का अंकन करना तथा पट्टो का रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत पंजीयन कराना शामिल है। ग्राम पंचायत पट्टा तीन प्रतियों में तैयार करती है तथा एक प्रति अनिवार्य रूप से पंचायत समिति कार्यालय में जमा करानी अनिवार्य है जहां पर पंचायत वार पट्टो की प्रतियां सुरक्षित रखी जाती है। उक्त संरक्षात्मक प्रणाली पट्टो धारियों के हितो की सुरक्षा के साथ–साथ फर्जी पट्टा तैयार करने व सरपंचो द्वारा अनियमित तरीकों से पट्टे जारी करने की संभावनाओं से उन्हे रोकने के लिए बनाई गई है।

8. चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2 फुल सिंह ने अपने पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 30.12.1988 को इस न्यायालय में पेश कर कोई सबूत पेश नहीं किया तथा इस न्यायालय द्वारा पट्टे से संबंधित अभिलेख मांगने पर भी ग्राम पंचायत ने कोई अभिलेख पेश नहीं किया है तथा पत्रांक 43 दिनांक 25.11.2022 से जबाव पेश कर कथन किया है कि पट्टा संख्या 3 खसरा नम्बर 590 दिनांक 30.12.1988 से सम्बन्धित किसी प्रकार का रिकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है।

9. उपर्युक्त तथ्यात्मक व विधिक प्रावधानों के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस निगरानी में उक्त पट्टा संख्या 3 खसरा नम्बर 590 दिनांक 30.12.1988 ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा जिस पट्टे की फोटोकापी पेश की है वह पट्टा अवैध है तथा कानून की दृष्टि से शून्य होने से निरस्त योग्य है। ऐसे अवैध व शून्य विलेख से प्रत्यर्थी संख्या 2 फूल सिंह को पट्टे में अंकित विवरण की भूमि पर कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:05:45 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अधिकार, हित, स्वत्व आधिपत्य उत्पन्न नहीं हो सकते तथा स्थावर सम्पति होने से पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत इसका पंजीयन भी अनिवार्य था किन्तु इसकी भी पालना नहीं की गई है। अतः ग्राम पंचायत बस्तवा द्वारा जारी पट्टा संख्या 3 खसरा नम्बर 590 दिनांक 30.12.1988 को अवैध घोषित किया जाता है तथा अपास्त किया जाता है। फलस्वरूप ऐसे अवैध व शून्य पट्टे की आड़ में अगर कोई अन्तरण हुआ है तो वह अन्तरण भी स्वतः ही शून्य व अवैध है क्यों कि अन्तरक अपने अधिकारों से अधिक अधिकार, हित इत्यादि अन्तरिती को हस्तानान्तरित नहीं कर सकता उक्त पट्टा संख्या 3 दिनांक 30.12.1988 के निरस्तीकरण से इस भूमि पर निगरानीकर्ता को कोई हक, टाइटल, स्वत्व, आधिपत्य प्राप्त नहीं होगा। उसे अपना टाईटल मजबूत साक्ष्य से सक्षम स्तर पर प्रमाणित करना होगा। इन्होने अपने पक्ष में जारी पट्टे की प्रति भी पेश नहीं की है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.01.28 18:05:45 IST
Reason: SelfAttested